पूर्वोत्तर रेलवे

अधिसूचना

लखनऊ मण्डल में वाणिज्य विभाग के वाणिज्य सह टिकट लिपिक ,लेवल–3 ग्रेड पे 2000 के पद पर 16.67 प्रतिशत एलडीसीई कोटा (16.67% selection) के अन्तर्गत रिक्त पदों को चयन के हेतु सीबीटी के माध्यम से भरा जाना है। वाणिज्य सह टिकट लिपिक ,लेवल–3 ग्रेड पे 2000 के पद पर 16.67 प्रतिशत पदोन्नति कोटा की रिक्यिों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड,ग्रेड पे एवं लेवल	कुल रिक्तियां	रिक्यिों का बटवारा			कुल 70 रिक्तियों मे पीडब्लूबीडी का बॅटवारा		
				सामान्य	अजा0	अजजा0	वीआई	एचएच	ओएच
1	वाणिज्य सह टिकट लिपिक	5200–20200+2000 लेवल–3	70	55	10	05	1	1	1

1.पात्रता मानदण्ड एवं योग्यता:–

(क) आरबीई सं0 16/2021 दिनांक 04.03.2021 एवं 87/2023 दिनांक 11.07.2023 के निर्देशानुसार उपरोक्त 16.67 प्रतिशत रिक्तियों को चयन के आधार पर भरने हेतु वाणिज्य एव परिचालन विभाग के लेवलं–1 और लेवल–2 कर्मचारी (लिपिकीय संवर्ग को छोडकर) अन्य भी कर्मचारी आवेदन कर सकते है, तथा लखनऊ मण्डल के सभी विभागों के सफाईवाला संवर्ग के कर्मचारी जिनके अधिसूचना जारी होने की तिथि को 02 वर्ष की नियमित रेल सेवा (सामान्य/अपिव/अजा0/अजजा0 किसी भी वर्ग का हो) पूरी हो चुकी हो, आवेदन करने के लिए पात्र होगें। जिन कर्मचारियों को एम0ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत ग्रेड पे 1900,2000,2400 का लाभ दिया गया है, वे भी आवेदन कर सकते है। एवजी कर्मचारी जिनकी छान परीक्षा नही हुयी है, तथा प्रशिक्षु के रूप में कार्यरत कर्मचारी जिन्हें ग्रेड पे 1800/– का लाभ प्राप्त नही है,वे इस चयन में सम्मिलित होने के पात्र नही होगें। रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 28.09.17 (आरबीई नं0 140/2017) के द्वारा जिन प्रशिक्षुओ को न्यूनतम वेतन 18000/– दिया गया है, वे कर्मचारी भी आवेदन करने के पात्र नही होगें।

(ख) रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0 ई(एनजी)।।/2012/आरआर–1/16/पार्ट–ए दिनांक 17.12.2014 व आरबीई नं0 62/2020 दिनांक 31.07.2020 के अनुसार पात्र वाणिज्य एवं परिचालन विभाग के लेवल–1 एवं लेवल–2 में कार्यरत कर्मचारी जिनकी शैक्षिक योग्यता कम से कम 12 वी (+02 स्तर) या समकक्ष परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारी पात्र होगें (अजा0/अजजा0/भूतपूर्व सैनिकों के लिये 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य नही होगा)। आवेदन करने वाले कर्मचारियों की निचले ग्रेड में 02 वर्ष की सेवा है वे ही इस चयन में सम्मिलित होने हेतु अपना विकल्प दे सकते है।

(ग) आरबीई सं0 69/2024 दिनांक 26.07.2024 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को वाणिज्य सह टिकट लिपिक ,लेवल–3 ग्रेड पे 2000 के पद हेतु चिकित्सा श्रेणी बी/2 में पास होना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी बी/2 चिकित्सा श्रेणी में उत्तीर्ण नही हो तो उसे चयन से पूर्व पुनः चिकित्सा परीक्षण बी/2 हेतु कराना होगा।

(घ) विकलांग कोटे के कर्मचारियों को अपना विकलांगता प्रमाण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। महाप्रबन्धक/का0/गोरखपुर के पत्र सं0 का/सीसीटीसी,टी0सी0,ईसीआरसी/मर्जर/चार/78 दिनांक 03/04.03.2020 के अनुसार Disabled Person जो Merger के पूर्व के किसी भी Category के लिये सुयोग्य है, वे विलय के पश्चात की सभी Category के लिये उपयुक्त माने जायेगे।

(ङ) वाणिज्य सह टिकट लिपिक 5200–20200 ग्रेड पे 2000 लेवल–3 के 16.67 प्रतिशत एलडीसीई कोटे की अन्तिम नामिका को मेरिट के कम में तैयार किया जायेगा। उपरोक्त अर्हता पूर्ण करने वाले नियमित कर्मचारी संलग्न प्रोफार्मा पर अपना सेवा विवरण तथा जन्मतिथि के लिये हाईस्कूल पास का प्रमाण पत्र, यदि अजा/अजजा कर्मचारी हो तो जाति प्रमाण की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें। उक्त प्रमाणपत्र संलग्न न होने पर कर्मचारी के विकल्प को अपूर्ण मानकर निरस्त कर दिया जायेगा।

21/01/2026

Scanned with CamScanner

2. चयन का माध्यमः–

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0 165/2003 दिनांक 22.09.2003 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार चयन निम्न प्रकार होगा।

लिखित परीक्षा–85 अंक

सेवा अभिलेख एवं कार्य रिपोर्ट–15 अंक

रेलवे बोर्ड के पत्र स0 113/2009 दिनांक 19.06.2009 के अनुसार परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों को **न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक** प्राप्त करना होगा। आरक्षित वर्ग (अजा0/अजजा0) के कर्मचारियों को सामान्य छूट ,जंहा कही अनुमेय हो, के अध्याधीन उन उम्मीदवार को जिन्होने व्यावसायिक योग्यता में 60 प्रतिशत और कुल मिलाकर 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हो, को पैनल में शामिल करने के योग्य नही माना जायेगा। इसके अतिरिक्त केवल उन्ही उम्मीदवारों को जिन्होंने व्यावसायिक योग्यता में **न्यूनतम 60 प्रतिशत** अंक प्राप्त किये हों, के सेवा रिकार्ड का मूल्याकंन किया जायेगा। यह रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुपालन में परिवर्तित हो सकता है।

3. पाठ्यक्रमः–

मुख्यालय/गोरखपुर के पत्र दिनांक 15.09.2025 के द्वारा जारी उक्त चयन हेतु पाठ्क्रम अधिसूचना के साथ संलग्न है।

4. चयन की प्रकियाः–

वाणिज्य विभाग में वाणिज्य सह टिकट लिपिक 5200–20200 ग्रेड पे 2000 लेवल–3 के 16.67 प्रतिशत विभागीय चयन की प्रकिया (आरबीई सं0 198/2018 व 194/2019) में निहित निर्देशो के अनुसार निम्नवत् होगा।

1. परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अनारक्षित समुदाय के कर्मचारियों को सीबीटी परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक तथा आरक्षित समुदाय के कर्मचारियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु यह रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में परिवर्तनीय हो सकता है। (मुख्यालय पत्र दिनांक 18.06.23)
2. उपरोक्त सीबीटी परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर की 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग की जाएगी। (आरबीई सं0 194/2019)
3. वर्णित सीबीटी परीक्षा का समय 120 मिनट रखा जायेगा।
4. प्रश्न पत्र 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ट होगें।
5. सभी प्रश्न केवल बहुविकल्पीय होगें।
6. आरबीई सं0 196/2018 के अनुसार प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। परीक्षार्थी दोनों में से किसी एक भाषा में उत्तर दे सकता है।
7. उपरोक्त सीबीटी परीक्षा में अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण कर्मचारी को इस परीक्षा में दोबारा सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया जायेगा।
8. चिकित्सा श्रेणी में उत्तीर्ण होने की दशा में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/गाजीपुर भेजा जायेगा।
9. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने के उपरान्त उन्हें वाणिज्य सह टिकट लिपिक 5200–20200 ग्रेड पे 2000 लेवल–3 में अनन्तिम रूप से पदोन्नति दी जायेगी। प्रशिक्षण अनुत्तीर्ण होने की दशा में उन्हें उनके मूल पद/कैडर में वापस भेज दिया जायेगा।

5. कर्मचारियों/पर्यवेक्षको के लिए सूचना :–

a) इस अधिसूचना में अंकित तथ्यों तथा रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय के तत्सम्बन्धी निर्देशों एवं परिपत्रों के बीच किसी प्रकार का विरोधाभास होने की स्थिति में समय–समय पर मुख्यालय तथा रेलवे बोर्ड से जारी दिशानिर्देश मान्य होगें एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

b) इस अधिूसचना को ही तत्परता सूचना समझा जाये। निर्धारित अवधि के पश्चात पात्र कर्मचारियो को अल्पकालिक सूचना पर लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जा सकता है।

21/1/26

Scanned with CamScanner

c) उम्मीदवारो को ध्यान रखना चाहिए कि रेलवे प्रशासन चयन/उपयुक्तता प्रकिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारों के दस्तावेज/शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र ,चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि को उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत करने में असमर्थ होने या उम्मीदवार के किसी दस्तावेज में अनियमितता पाए जाने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। यदि किसी उम्मीदवार के विरूद्व अपराधिक/सर्तकता/डीएआर सम्बन्धी मामला लम्बित होने पर उन उम्मीदवारों के आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जोयगी।

d) प्रभारी/पर्यवेक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे उन्हीं कर्मचारियों का विकल्प अग्रसारित करें जो पात्रता पूर्ण करते हो,उपरोक्त के अलावा किसी और कर्मचारी का विकल्प अग्रसारित न करें । विकल्प देने वाले जो कर्मचारी पात्र होगें उन्हें ही चयन में बुलाया जायेगा। कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से भरकर दिये गयें आवेदनों को नियत्रंक अधिकारी से फोटो तथा हस्ताक्षर सत्यापित कराकर वॉछित विवरण के साथ दिनांक **20.01.2026** तक अपने नियंत्रक अधिकारी के पास जमा करेंगे। नियंत्रक अधिकारी उक्त आवेदनो का बंच बनाकर कवरिंग लेटर के साथ विशेष पत्र वाहक द्वारा **दिनॉकः–27.01.2026** तक इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेगें । विकल्प देने वाले सभी पात्र कर्मचारी इस अधिसूचना को तैयारी हेतु नोटिस मानकर परीक्षा के लिये तैयार रहें।

e) यदि इस अधिसूचना में आईआरईएम का कोई अन्य प्रावधान/रेलवे द्वारा जारी सर्कुलर/चयन के नियम और शर्ते छूट गये हो तो उन्हें वैध और सक्रीय माना जायें।

नोट–यद्यपि अधिसूचना जारी करने में रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेषों को समाहित किये जाने का प्रयास किया गया है परन्तु फिर भी यदि कोई तथ्य या नियम छूट गया है तो सम्बन्धित कर्मचारी अपनी आपत्ती इस अधिसूचना के जारी किये जाने के 05 दिन के इस कार्यालय में दर्ज करा सकते है।

संलग्नक–

1–आवेदन का प्रारूप/ अनुलग्नक–क

2–पाठ्यक्रम ।

सकाधि/।।।
कृते मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
लखनऊ।

संः0– ई/।।/254/16.67 /सलेक्शन/वा0/2025 दिनांक– 02.01.2026

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक/का0/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
2. महाप्रबन्धक/सतर्कता/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
3. सभी शाखा अधिकारी लखनऊ मण्डल
4. समस्त स्टेप्र/स्टेधि/वा0अधी0/वानि0/यानि0/मुगानि0/ लखनऊ मण्डल
5. सभी मुख्य नियन्त्रक/कन्ट्रोलः– कृप्या उपरोक्त को अपने स्तर से प्रचाारित एवं प्रसारित करें।
6. मुख्य मैट्रन/स्वास्थ्य निरीक्षक/लखनऊ मण्डल
7. नोटिस बोर्ड
8. मुख्य कार्याधी/गापनीय सेल –कृपया उक्त अधिसूचना पूऊरे/लखनऊ मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करना चाहें।
9. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रभारी
10. मण्डल मंत्री एनईरेलवे मेन्स कांग्रेस/अजजा/अजा/लखनऊ

02/01/2026

कृते मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक—क

विषयः— लखनऊ मण्डल में वाणिज्य विभाग के अधीन वाणिज्य राह टिकट लिपिक, ग्रेड पे 2000 लेवल—3 के 16.67 प्रतिशत एलडीसीई कोटा (16.67% selection)के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए सामान्य चयन हेतु आवेदन पत्र।

सन्दर्भः—अधिसूचना सं0:— ई / ।। / 254 / 16.67 / सलेक्शन / वा0 / 2025 दिनांक— 02.01.2026

1. कर्मचारी का नाम(सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी) हिन्दी में. ....

अग्रेजी में ....

पासपोर्ट साइज फोटो जो नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों

2.पिता / पति का नाम ....

3.जन्मतिथि..

4.नियुक्ति तिथि..

5.वर्तमान ग्रेड में प्रवेश की तिथि..

6.वर्तमान ग्रेड में कुल सेवा की अवधि..

7.पदनाम एवं लेवल (एमएसीपीएस को छोडकर)..

8.वेतन दर..

9.नियुक्ति का श्रोत..

10.समुदाय (सामा0 / अजा0 / अजजा0)..

11.वर्तमान कार्यस्थल..

12. नियंत्रक अधिकारी..

13.भविष्य निधि सं0 / एचआरएमएस आई..

14. शैक्षणिक योग्यता.(सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न)..

15.मोबाइल नं0..

16.E-mail id--

17.विकालंग— हॉ / नही (यदि हॉ तो विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें।)..

मै प्रमाणित करता हुॅ / करती हुॅ कि उपरोक्त दी गयी सूचना / जानकारी सत्य है। यदि इसमें कोई असत्यता पायी जाती है तो मेरा / मेरे आवेदन को निरस्त कर दिया जाय तथा मेरे विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

हस्ताक्षर..

कर्मचारी का नाम

दिनांक—

पदनाम—

स्थान—

कार्यालय—

नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित

(अधिकारी का मुहर)

Scanned with CamScanner

File No.NER-HQ0PERS(POLI)/123/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER

41

कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर-273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमाँकः- 150
File No: NER-HQ0PERS(POLI)/123/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER(Computer No: 140368) दिनाँक :-15/09/2025

सचिव / महाप्रबन्धक
सचिव / अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे

विषय :– वाणिज्य विभाग के विभिन्न पदो पर चयन हेतु कामन पाठयक्रम उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संन्दर्भ :– महाप्रबन्धक / कार्मिक / गोरखपुर का पत्र संख्या ई / 2025 / सर्कुलर / चार दिनाँक 25.06.2025

विषयगत मामले में वाणिज्य विभाग के विभिन्न पदों पर चयन हेतु निम्नलिखित पाठयक्रम आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया जा रहा है–

Sr No.	Designation	Quota
1	वाणिज्य-सह-टिकट लिपिक (लेवल-3)	33 1/3% (General Selection traffic and commercial staff
2	वाणिज्य-सह-टिकट लिपिक (लेवल-3)	16 2/3 % LDCE
3	वाणिज्य-सह-टिकट पर्यवेक्षक (लेवल-6)	75% DPQ

अतः उक्त मामले में तदनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पाठयक्रम पर प्रमुवाप्र का अनुमोदन प्राप्त हैं।

संलग्नक/यथोपरि

(वी.के.द्विवेद्वी)
उपमुकाधि / मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-
1)महामंत्री /एन.ई.रेलवे मेन्स कांग्रेस/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर
2) महामंत्री /प्रोमोटी अधिकारी संघ /पूर्वोत्तर रेलवे /गोरखपुर
3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ /गोरखपुर
4) महामंत्री /एस.सी/ एस.टी एशोसियेशन /गोरखपुर

Digitally Signed by Vinod Kumar Dwivedi
Date: 15-09-2025 17:32:15
Reason: कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

Scanned with CamScanner

वाणिज्य सह टिकट लिपिक लेवल – 3 पदोन्नति कोटा $33\frac{1}{3}$% (General selection traffic and commercial staff) एवं वाणिज्य सह टिकट लिपिक लेवल – 3 पदोन्नति कोटा $16\frac{2}{3}$% (LDCE) के विरुद्ध चयन हेतु पाठ्यक्रम

1. **सामान्य हिंदी (20 अंक) -** सामान्य हिंदी, व्याकरण कक्षा 10 के स्तर का, अपठित गद्यांश तथा रिक्त स्थान भरो।
2. **सामान्य अंग्रेजी (20 अंक) -** सामान्य अंग्रेजी, व्याकरण कक्षा 10 के स्तर का, अपठित गद्यांश तथा रिक्त स्थान भरो।
3. **सामान्य अंक गणित (20 अंक) -** जोड़, घटाव, गुणा, भाग, समय-दूरी, प्रतिशत, लाभ-हानि
4. **सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी (20 अंक) -**
5. **रेल से संबंधित सामान्य प्रश्न (20 अंक) -** भारतीय रेल का इतिहास, अनारक्षित टिकट से संबंधित जानकारी यथा UTS,JTBS, STBA, Mobile Ticket, आरक्षित टिकट से संबंधित जानकारी, ब्रेक जर्नी के नियम, निरस्तीकरण, शिकायत, Rail Madad एवं आरटीआई, पास नियम, छुट्टी नियम, वेतन एवं भत्ते, आचरण नियम तथा अनुशासन एवं अपील नियम
6. **राजभाषा (वैकल्पिक 10 अंक) -**

Scanned with CamScanner